السنّة النبوية وعلومها
www.sunnah.global

(ईला -किसी कारण अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खा लेना - के पश्चात) जब चार महीने बीत जाएँ, तो पति को रोका जाएगा, यहाँ तक कि तलाक़ दे दे और तलाक़ उस समय तक नहीं पड़ेगी, जब तक पति तलाक़ न दे।

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अंहु) कहते हैं ◌ः (ईला -किसी कारण अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खा लेना - के पश्चात) जब चार महीने बीत जाएँ, तो पति को रोका जाएगा, यहाँ तक कि तलाक़ दे दे और तलाक़ उस समय तक नहीं पड़ेगी, जब तक पति तलाक़ न दे।

[सहीह] [इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।]

https://sunnah.global/hadeeth/hi/show/58151

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

لجنة الدعوة الإلكترونية
EDC
E-Da'wah Committee